



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक :-08.03.2025

**थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-39/2025 धारा-  
318(2)/305(a)/317(2) से सम्बन्धित अभियुक्ताओं को चोरी के माल  
सहित किया गया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2025 धारा 318(2)/305(A)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आयी 03 अभियुक्ताओं को चोरी गये माल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पता:-

1. अमरजा खान पत्नी स्व0 इमरान निवासी मसूदपुरा थाना उसैत जनपद बदायूं ।
2. सबाना पत्नी शब्बू निवासी मसूदपुरा थाना उसैत जनपद बदायूं ।
3. निशा उर्फ इदुल पत्नी नसीम उर्फ सलीम निवासी मसूदपुरा थाना उसैत जनपद बदायूं ।

**घटना का विवरण:-** दिनांक 05.03.2025 को सर्राफा की दुकान कस्वा शमसाबाद से उपरोक्त तीनों अभियुक्तों ने वादी से जेन्ट्स अंगूठी दिखाने को कहा और अंगूठी देखने के बहाने असली अंगूठी चुपके से बदल कर नकली अंगूठी वादी को वापस कर पसंद न आने की बात कहकर धोखाधड़ी कर चोरी कर ले गयी । जब वादी ने कुछ समय बाद देखा कि वह असली अंगूठी ले गयी तथा नकली अंगूठी मुझे वापस की हैं तो वादी श्री शिशिर रस्तोगी पुत्र श्री नमो नारायण रस्तोगी निवासी मोहल्ला दुबे कस्वा व थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ की तहरीर के आधार पर दिनांक 05.03.2025 को मु0अ0सं0-39/2025 धारा- 318(2)/305(a) बीएनएस बनाम 03 अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना के क्रम में थाना पुलिस द्वारा एसओजी टीम व सर्वेलांस टीम व मुखविर के सहयोग से प्रकाशित अभियुक्ता 1. अमरजा खान पत्नी स्व0 इमरान निवासी मसूदपुरा थाना उसैत जनपद बदायूं 2. सबाना पत्नी शब्बू



निवासी मसूदपुरा थाना उसैत जनपद बदायूं जिसकी 3. निशा उर्फ इदुल पत्नी नसीम उर्फ सलीम निवासी मसूदपुरा थाना उसैत जनपद बदायूं को दिनांक 07.03.2025 को मय माल के गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** तीनों अभियुक्ताओं ने पूछताछ करने पर बताया हमने दिनांक 05.03.2025 को कस्वा शमसाबाद से एक सुनार से अंगूठी खरीदने के बहाने अंगूठी देखी दुकान पर भीड-भाड थी। दुकानदार अन्य काम में लगा इतने में हमने नकली अंगूठी रख कर असली अंगूठी अपने पास छिपा ली और दुकान से यह कर कि हमें अंगूठी पसंद नहीं है और वापस आ गये। शेष अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से देना बताया।

### **अभियुक्ताओं से बरामद माल का विवरण**

1. 04 पीली धातू जेन्ट्स अंगूठी (जिसमें एक दबी हुई)
2. 02 महिला अंगूठी पीली धातू
3. 01 चैन पीली धातू
4. 03 महिला अंगूठी सफेद धातू
5. 05 लॉग पीली धातू
6. एक जोड़ी टोप्स (कुण्डल)
7. एक जोड़ी कुण्डल
8. एक कडा पीली धातू
9. दो मोबाइल
10. 1150 रुपये

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्ता अमरजा खान उपरोक्त:-**

- 1- मु0अ0सं0-39/2025 धारा- 318(2)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना शमसाबाद फतेहगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 36/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अमापुर जनपद कासगंज।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्ता सबाना उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0-39/2025 धारा- 318(2)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना शमसाबाद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 36/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अमापुर जनपद कासगंज।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्ता निशा उर्फ इदुल उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0-39/2025 धारा- 318(2)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना शमसाबाद फतेहगढ़।

### **गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-**

1. SO श्री तरुण सिंह।
2. उ0नि0 श्री मिथलेश कुमार।
3. का0 सोहित कसाना।
4. का0 नितिन कुमार।
5. म0का0 नीशू गौतम।

### एसओजी टीम:-

1. उ०नि० सचिन चौधरी – एसओजी प्रभारी ।
2. उ०नि० श्री राजेश राय ।
3. उ०नि० गजराज सिंह ।
4. का० विनोद सिंह ।
5. का० दिव्यांशु ।
6. का० विकास ।
7. चालक सूरज कुमार ।

### सर्विलांस टीम:-

1. उ०नि० श्री दीपक भाटी – सर्विलांस प्रभारी ।
2. हे०का० करन सिंह ।
3. हे०का० अनुराग शर्मा ।
4. हे०का० सचेन्द्र सिंह ।
5. हे०का० संदीप सिंह ।
6. का० राहुल शर्मा ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।